भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-142

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण

***142. श्री जी. सेल्वमः**
श्री सी. एन. अन्नादुरई

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण में इसका क्या योगदान है;

(ख) इस योजना के तहत विद्युतीकृत गांवों और घरों की संख्या और विद्युतीकरण कवरेज की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को प्रदान किए गए बिजली कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है:

(घ) बीपीएल परिवारों को निःशुल्क या रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए किसी विशेष प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किस वर्ष तक शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण कर लिए जाने का लक्ष्य है;

(च) इस योजना के तहत ग्रामीण बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:

(छ) दूरदराज और दुर्गम इलाकों में इस योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियां क्या हैं तथा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ज) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और आर्थिक कार्यकलापों पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 142 के संबंध में भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

i. कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की न्यायोचित रोस्टरिंग हो सके;

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ता तक मीटर लगाना शामिल है;

iii. पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के शेष कार्यों सहित ग्रामीण विद्युतीकरण को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युत पहुंचा दी गई। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों में विद्युत पहुंचाई गई। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने थे। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से सितंबर 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों का विवरण, जिसमें डीडीयूजीजेवाई (दिनांक 31.03.2022 तक) के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घर भी शामिल हैं, **अनुबंध-III** पर है।

जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वितरण यूटीलिटियों यानी डिस्कॉम/विद्युत विभागों को वितरण क्षेत्र की प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में सहायता करना था, ताकि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) सहित आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

(च) : गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 1.17 लाख करोड़ रुपये की लागत के वितरण अवसंरचना कार्य शुरू किए गए, जिनमें सब-स्टेशनों का विस्तार, नए सब-स्टेशनों का निर्माण, फीडर पृथक्करण, 33 केवी/11 केवी/एलटी लाइनें बिछाना, नए वितरण ट्रांसफार्मर आदि शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और स्कीम दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो गई है।

(छ) : परियोजना के कार्यान्वयन में दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों जैसी जटिल स्थलाकृति, चरम मौसम परिस्थिति और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता जैसी चुनौतियां शामिल हैं। चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों में पोर्टेबल सबस्टेशन और प्री-फैब्रिकेटेड संरचनाओं जैसे इंजीनियरिंग समाधान शामिल हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग, ड्रोन और रिमोट सुपरविजन टूल जैसी तकनीकों ने परियोजना कार्यान्वयन में वृद्धि की। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे श्रमिकों और ठेकेदारों को पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए तैयार किया गया।

(ज) : मंत्रालय ने मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी के माध्यम से वर्ष 2022 में डीडीयूजीजेवाई का तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन कराया, जिसमें इस स्कीम के व्यवसाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक सुरक्षा और बैंकिंग पर पड़ने वाले व्यापक सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

लो.स.तारां.प्र.सं. 142

अनुबंध-1

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक आबादी वाले जनगणना गांवों का राज्यवार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

अनुबंध-II

डीडीयूजीजेवाई के तहत वित्त वर्ष 2015 से सितंबर 2017 तक कुल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को विद्युतीकृत करने की राज्यवार उपलब्धि

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**कुल बीपीएल विद्युतीकृत परिवार**
1	आंध्र प्रदेश	6,64,851
2	असम	1,01,537
3	बिहार	19,76,832
4	छत्तीसगढ़	63,756
5	गुजरात	813
6	जम्मू एवं कश्मीर	1,133
7	झारखंड	12,391
8	कर्नाटक	98,821
9	केरल	24,993
10	मध्य प्रदेश	5,61,262
11	महाराष्ट्र	59
12	मेघालय	95
13	मिजोरम	447
14	नागालैंड	507
15	ओडिशा	1,03,857
16	राजस्थान	1,49,854
17	सिक्किम	1,850
18	तमिलनाडु	1,976
19	तेलंगाना	849
20	त्रिपुरा	41,759
21	उत्तर प्रदेश	10,82,986
22	उत्तराखंड	46
23	पश्चिम बंगाल	34,450
कुल		**49,25,124**

लो.स.तारां.प्र.सं. 142

अनुबंध-III

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम. सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

***सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं**

आरडीएसएस के तहत संस्तुत घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रु. में)	कुल स्वीकृत परिवार	22.11.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	**अतिरिक्त परिवार**				
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959	64,368
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167	0
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	12,740
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू और कश्मीर	77.10	69.39	10,730	0
9	बिहार	238.86	143.31	35,467	0
10	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.90	63,161	0
	कुल (क)	**3,711.65**	**2,739.79**	**8,14,412**	**77,108**
ख.	**जीवंत गांव कार्यक्रम के अंतर्गत**				
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**	**0**
ग.	**प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत**				
ग1	**आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत**				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	24,057
2	बिहार	0.28	0.17	51	0
3	छत्तीसगढ	38.17	22.90	7,077	4,323
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	9,445
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	15,667
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	921
9	केरल	0.86	0.52	345	309
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,851
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	5,329

13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
	उप योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**1,29,269**	**78,928**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत**				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	1,326
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप योग (ग2)	**0**	**0**	**0**	**11,324**
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516.15**	**328.31**	**1,29,269**	**90,252**
घ.	**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत**				
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550	0
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480	0
	कुल (घ)	**14.05**	**8.43**	**3,030**	**0**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**4,281.19**	**3,111.93**	**9,49,548**	**1,67,360**

*** वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्य संस्वीकृत**

****